

पीतासीन अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी
कानून व्यवस्था, राजस्व विभाग
इसत हाने के अंतर्गत दिनांक 19/3/25
के राजस्व प्रकरण में अनाामी तारीख
पेशी दिनांक 19/3/25
नियत की जाती है।

19/3/25

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील पक्षी ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश
३ नियम ५ सीपीसी. इस आदेश का पैरा
३ किया कि मूल पत्रावली दिनांक 27/5/2024
तारीख पेशी नियत थी। उक्त दिनांक हमारे
वकील साहब के कक्ष पर हम नहीं आये
और हमारे वकील साहब जिला कलेक्टर,
सर्कार माधोपुर में किसी अन्य प्रकरण में
पैरवी के दौरान गये हुए थे, इस कारण
न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके और
प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज
कर दिया गया।

मैंने वस्तु उभयपक्षीय सुनी। मैंने
वकील उभयपक्षों की बहस का मनन किया
एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पूर्व में दिनांक
पत्रावली से संबंधित मूल वादपत्र को रिकॉर्ड
किया जा चुका है। वकील पक्षी ने भी
उक्त प्रकरण को स्वीकार किये जाने में
अनापत्ति जाहिर की है।

पक्षी का बाजदासरी प्रार्थना पत्र
आदेश ०३ नियम ०५ सीपीसी - यापहित
में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली



23-8-22

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामीर मे जारी हुए

उक्त बुमार होकर नंबर से कम हो एवं
बाद तकमील काखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० गा०)

